(20 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार)

संसदीय कार्य मंत्रालय

2019-2021 के दौरान मंत्रालय द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य / उपलब्धियां

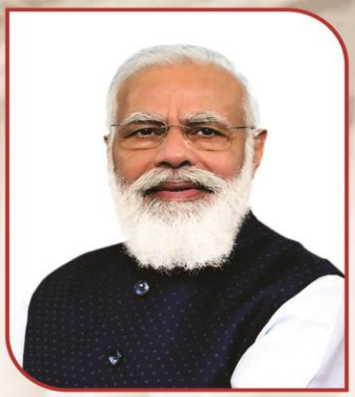

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी

कैबिनेट मंत्री
श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी

राज्य मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल

राज्य मंत्री
श्री वी. मुरलीधरन

"मैं सभी विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को अपनाकर विधानमंडलों के कामकाज को कागज-रहित बनाने के लिए विधानमंडलों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ें।"

[प्रधानमंत्री केवडिया, गुजरात में संविधान दिवस समारोह के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के दो दिन के 80वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए।]

प्रस्तावना

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्रालय को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संसद के दोनों सदनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने की भूमिका सौंपी गई है। इसके प्रमुख कार्यों में संसद के सदनों को आहूत करना और उनका सत्रावसान करना, संसद के समक्ष विधायी और अन्य सरकारी कार्य की आयोजना, समन्वय और निपटान शामिल है।

मैं अपने माननीय सहयोगियों (दो राज्य मंत्रियों), श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री वी. मुरलीधरन, जो क्रमश: लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाहियों को देखते हैं, के साथ मई, 2019 से संसदीय कार्य मंत्री के कार्यों का निर्वाह कर रहा हूं।

दो वर्ष की इस छोटी अवधि के दौरान, संसद द्वारा काफी विधायी कार्य निपटाया गया है। 17वीं लोक सभा के गठन (मई, 2019) के पश्चात वर्ष 2019 के दौरान, संसद के दोनों सदनों के 2 सत्र आयोजित हुए जिनमें कुल 45 विधेयक पारित किए गए तथा लोक सभा और राज्य सभा की उत्पादकता क्रमश: लगभग 126.5% और 101.5% रही।

वर्ष 2020 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण संसद के दोनों सदनों के मात्र दो सत्र ही आयोजित किए जा सके जिनमें कुल 39 विधेयक पारित किए गए तथा लोक सभा और राज्य सभा की उत्पादकता क्रमश: लगभग 128.5% और 87% रही। कोविड-19 के प्रसार से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी दलों की सहमति से बजट सत्र, 2020 के दूसरे भाग की अवधि को छोटा करना पड़ा था।

बजट सत्र, 2021 के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा की क्रमश: लगभग 114% और 90% उत्पादकता के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 विधेयक पारित किए गए। जो सत्र मूल रूप से 8 अप्रैल, 2021 तक बैठक करने के लिए नियत था, दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग पर समयपूर्व समाप्त कर दिया गया था ताकि सदस्यगण कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।

वर्ष 2020-21 का अधिकांश समय कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ है। इस अवधि के दौरान, विशेषकर बजट सत्र, 2020 के दूसरे भाग से, सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों के अलावा, संसदीय कार्यवाहियों का संचालन भी एक बड़ी चुनौती बन गया था।

सर्वोच्च विधायी निकाय और कार्यकारी जवाबदेह संस्था के रूप में संसद की संवैधानिक भूमिका निभाते हुए संविधान के अनुच्छेद 85(1) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, संसद सत्रों का आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करते हुए असाधारण व्यवस्था करके किया गया।

इस अवधि के दौरान, मैं सुचारू सदन प्रबंधन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊर्जस्वी और करिश्माई नेतृत्व के सतत मार्गदर्शन और समर्थन के तहत और सभी राजनीतिक नेताओं के सक्रिय, सहभागी और रचनात्मक सहयोग से संसदीय कार्य कुशलता के साथ निष्पादित किया जा सका। संसद के दोनों सदनों में उत्कृष्ट सदन प्रबंधन में मेरे सहयोगियों ने कर्मठतापूर्वक सहायता की।

बड़े संतोष की बात है कि इस अवधि के दौरान, संसद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, विधान लिए गए/अनुमोदित किए गए। अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंधों और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त किया गया ताकि भारत के संविधान को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्णत: लागू किया जा सके। नागरिकता संशोधन कानून, कृषि सुधार कानून और श्रम सुधार संबंधी कानून इस अवधि के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं।

माननीय प्रधानमंत्री की भविष्यवादी दृष्टि का अनुगमन करते हुए, मेरे मंत्रालय ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में मिशन मोड परियोजना "ई-विधान" और "ई-संसद" के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) भी विकसित की है और हम पूरे देश में सभी विधानमंडलों में "एक राष्ट्र एक एप्लिकेशन" के सिद्धांत पर इस कार्यक्रम को अगस्त, 2022 तक कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। अपने युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में और विस्तार करने के लिए मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल https://nyps.gov.in

विकसित किया है जिसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में किया गया था।

सभी हितधारकों के लाभार्थ वर्ष 2019-21 (मई, 2021 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों/उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त विवरण निकाला गया है। मुझे आशा है कि यह संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलापों का एक विहंगम अवलोकन उपलब्ध कराएगा।

तारीख: मई, 2021
स्थान: नई दिल्ली

(प्रल्हाद वेंकटेश जोशी**)**

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

विषयसूची

1	मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व	1
2	विधायी कार्य	1
3	संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम	26
4	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले	27
5	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	28
6	आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)	28
7	अनुसंधान संबंधी गतिविधियां	28
8	युवा संसद	29
	युवा संसद (ऑफलाइन)	29
	युवा संसद (ऑनलाइन)	29
9	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन	31
10	परामर्शदात्री समितियां	31
11	राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)	32
12	अनुबंध	37

2019-2021 के दौरान मंत्रालय द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियां

संसद में सरकार की ओर से विविध सरकारी कार्य दक्षतापूर्वक संभालने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार, यह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

1. मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व

मंत्रालय को इस बात का फायदा है कि एक कैबिनेट मंत्री और दो राज्य मंत्रियों द्वारा (30.05.2019 से) इसका मार्गदर्शन किया जा रहा है जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी कार्य किए गए हैं:

श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा	राज्य सभा
श्री अर्जुन राम मेघवाल	श्री वी. मुरलीधरन

2. विधायी कार्य

(क) प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्न प्रकार संसद के 5 सत्र आयोजित किए गए:

सत्र	लोक सभा	राज्य सभा
पहला/249वां पहला सत्र	17.06.2019 से 06.08.2019	20.06.2019 से 07.08.2019
दूसरा/250वां शीतकालीन सत्र	18.11.2019 से 13.12.2019	18.11.2019 से 13.12.2019
तीसरा/251वां बजट सत्र	31.01.2020 से 23.03.2020	31.01.2020 से 23.03.2020
चौथा/252वां मानसून सत्र	14.09.2020 से 23.09.2020	14.09.2020 से 23.09.2020
पांचवां/253वां बजट सत्र	29.01.2021 से 25.03.2021	29.01.2021 से 25.03.2021

(ख) इस अवधि के दौरान निष्पादित विधायी कार्य की सत्रवार सूचना निम्न प्रकार है:

सत्र	लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयकों की संख्या	राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों की संख्या	लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों की संख्या	राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों की संख्या	दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या	लोक सभा में वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	राज्य सभा में वापस लिए गए विधेयकों की संख्या
	2019						
पहला/249वां पहला सत्र	33	07	35	32	30	-	-
दूसरा/250वां शीतकालीन सत्र	18	-	14	15	15	-	04
	2020						
तीसरा/251वां बजट सत्र	18	01	15	13	12	-	02
चौथा/252वां मानसून सत्र	16	06	25	25	27	04	01
	2021						
पांचवां/253वां बजट सत्र	17	03	18	19	18	-	-
कुल	102	17	107	104	102	04	07

*संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।अनुबंध में संसद के दोनों सदनों में आबंटित समय, लिया गया समय और वाद-विवाद में भाग लेने वालों का विवरण भी दिया गया है।

(ग) प्रतिवेदित अवधि के दौरान दोनों सदनों द्वारा 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की समान अवधि के दौरान पारित किए गए विधेयकों से क्रमश: लगभग 27%, 33% और 41% अधिक विधेयक पारित किए गए।

(घ) 17वीं लोक सभा का पहला सत्र ऐतिहासिक था क्योंकि इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए जो नई लोक सभा के गठन के पश्चात अकेले पहले सत्र में एक रिकार्ड है।

(ड.) पहले सत्र के दौरान निष्पादित किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य जम्मू और कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ उपबंधों

का, विशेषकर भारत के संविधान के उपबंधों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की अनुप्रयोज्यता के प्रत्यावर्तन के साथ निराकरण करना और इस प्रकार कानून और निष्पक्षता का शासन सुनिश्चित करना था। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों – जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सृजन के साथ पुनर्गठन किया गया है।

(च) दूसरे सत्र के दौरान, संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए 26 नवंबर, 2019 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था।

(छ) मानसून सत्र, 2020 बैठने संबंधी और लॉजिस्टिक्स संबंधी असाधारण व्यवस्था करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किया गया।

(ज) इस सत्र के दौरान, लोक सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा दर्शक दीर्घा, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया गया जबकि राज्य सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा दर्शक दीर्घा और लोक सभा कक्ष का इस्तेमाल किया गया।

(झ) लोक सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं। 14 सितंबर, 2020 को लोक सभा की बैठक सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक हुई थी। राज्य सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं।14 सितंबर, 2020 को राज्य सभा की बैठक दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे तक हुई थी।

(ञ) बैठने संबंधी और लॉजिस्टिक्स संबंधी ऐसी ही व्यवस्था बजट सत्र, 2021 के पहले भाग के दौरान भी की गई थी। लोक सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा दर्शक दीर्घा, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया गया जबकि राज्य सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा दर्शक दीर्घा और लोक सभा कक्ष का इस्तेमाल किया गया। लोक सभा की बैठकें29.01.2021 और 01.02.2021, जब उनकी बैठक पहले हुई,को छोड़कर रोजाना दोपहर 4.00 बजे से 9.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं।राज्य सभा की बैठकें 29.01.2021 और 01.02.2021, जब उनकी बैठक बाद में हुई,को छोड़कर रोजाना सुबह 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं।बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने के पश्चात, दोनों सदनों के समय को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य कर दिया गया था अर्थात पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक। लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष औरलोक सभा दर्शक दीर्घाका उपयोग किया था जबकि राज्य सभा ने अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष औरराज्य सभा दर्शक दीर्घा का इस्तेमाल किया था।

(ट) बजट सत्र, 2021 मूल रूप से 8 अप्रैल, 2021 तक बैठने के लिए निर्धारित था परंतु दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण इसे छोटा कर दिया गया ताकि सदस्य कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। संसद के दोनों सदनों में समस्त वित्तीय कार्य 31 मार्च, 2021 से पहले पूरा कर लिया गया था। अत्यावश्यक कार्य पूरा करने के पश्चात दोनों सदनों को 25 मार्च, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था।

(ठ) 17वीं लोक सभा के पहले दो वर्ष के दौरान आयोजित सत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित विधेयक पारित किए गए। इस अवधि के दौरान पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(i) कृषि सुधार:

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020ऐसे पारिस्थितिक तंत्र केसृजनका उपबंध करताहै, जिसमें कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं,जोप्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधीविधानों केअधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहरकृषक उपज के दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंतःराज्यिक व्यापार औरवाणिज्य कोप्रोत्साहितकरताहैऔरइलैक्ट्रानिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढ़ांचे का उपबंध करताहै।लोक सभा में कार्य मंत्रणा समिति ने माननीय अध्यक्ष को विधेयक हेतु समय आबंटित करने के लिए अधिकृत किया था। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा राज्य सभा में कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020के साथ चर्चा के लिए 4 घंटे आबंटित किए गए थे। दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा के लिए लिया गया था। 44 सदस्यों ने लोकसभा में 5 घंटे 36 मिनट तक बहस में भाग लिया। राज्यसभा में 33 सदस्यों ने बहस में भाग लिया और 4 घंटे 14 मिनट के लिए विधेयकों पर चर्चा की गई।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय केलिए कृषि कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों के संरक्षण और उनको सशक्त बनानेवालेकृषिकरारोंपर राष्ट्रीय रूपरेखा का उपबंधकरताहै।लोक सभा में कार्य मंत्रणा समिति ने माननीय अध्यक्ष को विधेयक हेतु समय आबंटित करने के लिए अधिकृत किया था। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा राज्य सभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020के साथ चर्चा के लिए 4 घंटे आबंटित किए गए थे। दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा के लिए लिया गया था। 44 सदस्यों ने लोकसभा में 5 घंटे 36 मिनट तक बहस में भाग लिया। राज्यसभा में 33 सदस्यों ने बहस में भाग लिया और 4 घंटे 14 मिनट के लिए विधेयकों पर चर्चा की गई।

आवश्यकवस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020कृषि क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 41 मिनट चर्चा की गई।

(ii) स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार:

इस अवधि के दौरान, इस क्षेत्र से संबंधित चार महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019औरदन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019दोनों सदनों द्वारा पारित कए गए।

राष्ट्रीयआयुर्विज्ञानआयोगविधेयक, 2019 - इस विधेयक में एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञानआयोग (एमएमसी), चार स्वायत्त बोर्डों अर्थात स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तरआयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड(पीजीएमईबी), चिकित्सा निर्धारण

और मूल्यांकन बोर्ड(एमएआरबी) तथा नीति और आयुर्विज्ञान पंजीकरणबोर्ड(ईएमआरबी) और एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के गठन का उपबंध शामिल है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकारहैं:-

* रोटेशन के आधार पर राज्यों और राज्य परिषदों के पारदर्शी तंत्र और प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना गया एक सुगठित निकाय। इससे तेजी से निर्णय लेने में सुविधा होगी।

* संतुलित नीति निर्देशों के लिए विविध पृष्ठभूमि वाले सदस्यों को शामिल करना।

* एक बार और पूर्ण समय के लिए चुने गए नियामकों के हितों का कोई टकराव नहीं होगा।

* स्वायत्त बोर्डों और आयोग के बीच शक्तियों का पृथक्करण, मानकों के निर्धारण को भी निरीक्षण करने और अनुमति देने से अलग किया गया है।

* आयोग के समक्ष अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए राज्यों की आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद।

* प्रक्रियाओं के सरलीकरण से देश में स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है जो देश की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

* इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में30 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 6 घंटे 7 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 56 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:

1. पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जो प्रारंभिक दशकों में चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, समय के साथ नहीं चल पाया। विभिन्न अवरोधों ने आयुर्विज्ञान शिक्षा पर और स्वास्थ्य सेवाओं के परिदान को गंभीर और हानिकारक रूप से प्रभावित किया है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट में भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षा के समीक्षात्मक मूल्यांकन की पेशकश की है। स्थायी समिति ने आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा पद्धति की विनियामक प्रणाली का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने और केंद्र सरकार द्वारा डॉ. रंजीत रॉय चौधरी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों के समूह द्वारा सुझाए गए विनियामक ढांचे के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार करने के लिए एक निर्णायक और अनुकरणीय कार्रवाई की सिफारिश की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और अन्य से संबंधित 2009 की सिविल अपील संख्या 4060 में अपने 2 मई, 2016 के निर्णय में केंद्र सरकार को रॉय चौधरी समिति की सिफारिशों पर विचार करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक संसद में पेश किया गया था और बाद में संसद द्वारा पारित किया गया था।

दावों के समर्थन में सांख्यिकीय आंकड़े:

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 को 08 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसके बाद, दिनांक10.10.2019 और 11.10.2019 की अधिसूचना द्वारा चिकित्सा सलाहकार परिषद का गठन किया गया। अंत में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अपने चार स्वायत्त बोर्डों के साथ 24.09.2019 को अधिसूचित किया गया।

आयुर्वेद शिक्षणऔरअनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020तीनआयुर्वेदसंस्थानोंअर्थात (i) आयुर्वेदस्नातकोत्तरशिक्षणऔरअनुसंधानसंस्थान, जामनगर, (ii) श्रीगुलाबकुंवरबाआयुर्वेदमहाविद्यालय, जामनगरऔर (iii) भारतीयआयुर्वेदभेषजविज्ञानसंस्थान,
जामनगरकाआयुर्वेदशिक्षणऔरअनुसंधानसंस्थाननामकेएकसंस्थानमेंआमेलनकाप्रस्तावकरताहै।विधेयकइससंस्थानकोराष्ट्रीयमहत्वकेसंस्थानकेरूपमेंघोषितकरताहै।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 34 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग

लिया और विधेयक पर 3 घंटे 22 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 15 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञानप्रणालीआयोग विधेयक, 2020भारतीयचिकित्साकेंद्रीयपरिषदअधिनियम, 1970 कानिरसनकरताहैऔरएकआयुर्विज्ञानशिक्षाप्रणालीकाउपबंधकरताहैजो (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, (ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनायाजाना, (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्रसुनिश्चितकरतीहै।विधेयकको 14.01.2019 कोस्वास्थ्य औरपरिवारकल्याणसंबंधीस्थायीसमितिकोभेजागयाथा। 27.11.2019 कोराज्य सभामेंरिपोर्टपेशकीगईथीऔरलोकसभाकेपटलपररखीगईथी।इस विधेयक पर चर्चा (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 के साथ) के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 33 मिनट चर्चा की गई(राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 के साथ)। राज्य सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई(राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 के साथ)।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का निरसन करताहैऔर एक आयुर्विज्ञानशिक्षाप्रणालीकाउपबंधकरताहैजो(i) पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, (ii) होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना, (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्रसुनिश्चितकरतीहै।विधेयकको 14.01.2019 कोस्वास्थ्य औरपरिवारकल्याणसंबंधीस्थायीसमितिकोभेजागयाथा। 27.11.2019 कोराज्य सभामेंरिपोर्टपेशकीगईथीऔरलोकसभाकेपटलपररखीगईथी।इस विधेयक पर चर्चा (राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञानप्रणालीआयोग विधेयक, 2020केसाथ)के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 33 मिनट चर्चा की गई(राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञानप्रणालीआयोग विधेयक, 2020केसाथ)। राज्य सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई(राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञानप्रणालीआयोग विधेयक, 2020केसाथ)।

गर्भकाचिकित्सीयसमापन (संशोधन) विधेयक, 2021 –यह विधेयक निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं का प्रस्ताव करता है:

(क) गर्भधारण के बीस सप्ताह तक गर्भ के समापन हेतु एक पंजीकृत चिकित्सक की राय की आवश्यकता;

(ख) गर्भावस्था के बीस से चौबीस सप्ताह के गर्भ के समापन हेतु दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता।

(ग) अधिनियम के नियमों के तहत निर्धारित की जाने वाली महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भ समापन की ऊपरी समय-सीमा को बीस से बढ़ाकर चौबीस सप्ताह करना।

(घ) ऐसे मामलों में गर्भ की अवधि के संबंध में उपबंधों का लागू न होना जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई किसी महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यता के कारण गर्भ का समापन आवश्यक हो।

(ड.) जिस महिला का गर्भ समाप्त किया गया है उसकी गोपनीयता की सुरक्षा को मजबूत करना।

(च) महिलाओं और उसके साथी को प्रदान किया गया गर्भनिरोधक की विफलता का खंड।

(छ) इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 14 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 11 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:
उक्त विधेयक में संशोधन लाने के कारण इस प्रकार हैं:

(क) सुरक्षित, कानूनी गर्भ समापन सेवाओं के लिए महिलाओं के दायरे और पहुंच में वृद्धि करने की आवश्यकता। असुरक्षित गर्भ समापन मातृ मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। यह जटिलताओं के कारण मातृ रुग्णता भी पैदा करता है।

(ख) चिकित्सा प्रौद्योगिकी में उन्नति।

(ग) हाल के दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें भ्रूण असामान्यता या महिलाओं के साथ यौन हिंसा से ठहरे गर्भ के आधार पर बीस सप्ताह की वर्तमान अनुमेय सीमा से अधिक गर्भकालीन समय में गर्भ समापन की अनुमति मांगी गई है।

दावों के समर्थन में सांख्यिकीय आंकड़े:
1. पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं के साथ महिलाओं के असुरक्षित समूह में गर्भ समाप्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयीन मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2016 से 2019 के बीच सर्वोच्च न्यायालय में 28 मामले और उच्च न्यायालयों में 173 मामले दायर किए गए जिनमें यौन उत्पीड़न/बलात्कार के बाद गर्भ या पर्याप्त भ्रूण विकृतियों के निदान के बाद गर्भ समापन की मांग की गई।

2. भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को 113/1,00,000 जीवित जन्म (एसआरएसनमूना पंजीकरण प्रणाली - 2016-18) के वर्तमान स्तर से घटाकर 70/1,00,000 जीवित जन्मतक लाना है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2002-2003 के अनुमान के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 अनुमानित मातृ मृत्यु में से 80% मातृ मृत्यु, यानी 24,000 के लिए असुरक्षित गर्भ समापन की जटिलताएं जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021 - यह विधान सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल विभिन्न व्यवसायों के लिए एक नियामक निकाय के निर्वात का समाधान करेगा। राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोगअधिनियम, 2021, 10 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृतऔर राष्ट्रीय आयोग की सहायता करने के लिए अपनी-अपनी वृतिक परिषदों के माध्यम प्रतिनिधित्व करने वाले 56 संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की शिक्षा और सेवाओं को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए "राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग" नामकएक सामान्य विनियामक निकाय का प्रस्ताव करता है। साथ ही, प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवर्तन के छह महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक राज्य परिषद का गठन करेगी जिसे राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवापरिषद कहा जाएगा।इस विधेयक पर चर्चा के लिएअपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 34 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:
संबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा क्षेत्र में शामिल विभिन्न व्यवसायों के लिए एक नियामक निकाय के निर्वात का समाधान करने के लिए।

(iii) सामाजिक और लैंगिक न्याय सुधार

इस अवधि के दौरान, भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

मुस्लिममहिला (विवाहअधिकारसंरक्षण) विधेयक, 2019 - विधेयक ने कुछ मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक, तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तलाक के प्रभाव वाला) की सदियों पुरानी प्रथा को दांडिक बनाया है।

मुख्य विशेषताएं

1. अधिनियम मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी रूप में, चाहे वह बोला गया हो, लिखा गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में दिए गए तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत - तीन बार तलाक का उच्चारण करना) को अमान्य और गैर कानूनी बनाता है। (धारा 3)

2. अधिनियम में अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम पति के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माने का उपबंध किया गया है। (धारा 4)

3. यह अधिनियम असंतुष्ट मुस्लिम पत्नी को उसके पति से अपने लिए और आश्रित बालकों के लिए ऐसे निर्वाह भत्ते का अधिकार देता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाए और यह अधिकार किसी अन्य कानून के तहत उसकी ऐसी हकदारी की परवाह किए बिना होगा। (धारा 5)

4. एक मुस्लिम पत्नी अपने पति द्वारा तीन तलाक के उच्चारण की स्थिति मेंअपने नाबालिग बालकों की उस रीति में अभिरक्षा लेने की भी हकदार है जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाए और उसका यह अधिकार किसी अन्य कानून के तहत उसके इसी तरह के अधिकार की परवाह किए बिना होगा। (धारा 6)

5. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय है, जहां मुस्लिम पत्नी, जिसे तीन तलाक सुनाया जाता है, या उसके खून के रिश्ते या विवाह के रिश्ते के किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध करने से संबंधित सूचना दी जाती है। (धारा 7)

6. अधिनियम के तहत अपराध, जिस मुस्लिम महिला को तीन तलाक दिया गया है उसकी सूचना पर ऐसे नियम और शर्तों पर, जैसी कि निर्धारित की जाएं, मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ प्रशम्य है। (धारा 7)

7. एक अभियुक्त पति को मजिस्ट्रेट द्वारा उस मुस्लिम पत्नी, जिसे तीन तलाक दिया गया है, की सुनवाई के पश्चात ही जमानत देने के उचित कारणों से संतुष्ट होने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। (धारा 7)

8. इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 6 घंटे 03 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 37 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 29 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:
'शायरा बानो बनाम भारत का संघ' में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि मुस्लिम महिलाओं को उनके पति द्वारा तलाक देने के लिए तीन तलाक की प्रथा अमान्य और असंवैधानिक है। हालांकि, शीर्ष अदालत द्वारा उपरोक्त निर्णय के बावजूद, कुछ मुस्लिम पतियों द्वारा तीन तलाक के माध्यम से तलाक के मामले सामने आए, जिन्होंने इस रूढ़िवादी और गैर-कानूनी प्रथा की रोकथाम हेतु कानून बनाने की आवश्यकता को जरूरी बना दिया। यह अधिनियम हमारी मुस्लिम महिलाओं को सम्मान, समानता और न्याय प्रदान करता है।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 एक उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करता है और उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 52 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 03 मिनट चर्चा की गई।

इलेक्ट्रॉनिकसिगरेट(उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारणऔरविज्ञापन)निषेध विधेयक, 2019निकोटीन की अत्यधिक नशे की लत की प्रकृतिपर विचार करते हुए

इलेक्ट्रॉनिकसिगरेटऔरऐसीहीअन्यचीजों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारणऔरविज्ञापन का निषेध करना है। यह विधान सततविकासकेलक्ष्यों, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानीढांचेऔर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017मेंउल्लिखितलक्ष्योंकोप्राप्तकरनेमेंकाफीसफलहोगा।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 03 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 36 मिनट चर्चा की गई।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता के पात्र बनाता है और उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन का हकदार बनाता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 6 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 48 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 7 घंटे 28 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 44 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 8 घंटे 43 मिनट चर्चा की गई।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019विभिन्न अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का उपबंध करता है ताकि अपराधियों को रोका जा सके और एक बालक के लिए सुरक्षा, संरक्षण और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित किया जा सके। यह केंद्र सरकार को किसी भी रूप में ऐसी अश्लील सामग्री, जिसमें बालक शामिल हो, का विलोप करने या उसे नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार देता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में चार-चार घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 29 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 52 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। विधेयक देवेंद्रकुलाथन समुदाय के लिए प्रविष्टि कोदेवेंद्रकुल वेलालार के साथ प्रतिस्थापित करता है, जिसमें ऐसे समुदाय शामिल हैं जो वर्तमान में अधिनियम के अंतर्गत अलग से सूचीबद्ध हैं। ये हैं: (i) देवेंद्रकुलाथन, (ii) कल्लादी, (iii) कुदुंबन, (iv) पल्लन, (v) पन्नाड़ी, और (vi) वथीरियन। अलग प्रविष्टियों का विलोप कर दिया गया है। 1950 के आदेश में राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में कदाइयान समुदाय भी शामिल है। विधेयक कदाइयान समुदाय के लिए निवास के आधार पर भेद करता है। कदाइयान समुदाय के लिए अलग प्रविष्टि को (i) तिरुनलवेली, (ii) थूथुकुडी, (iii) रामनाथपुरम, (iv) पुदुकोट्टई, (v) तंजावुर, (vi) तिरुवरुर और (vii) नागपट्टिनमजिलोंकेकदाइयानसमुदायसेप्रतिस्थापितकियागयाहै। अन्य जिलों में रहने वाले कदाइयान समुदाय के सदस्योंकोदेवेन्द्रकुलवेलालारसमूहमेंशामिलकियागयाहै।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 7 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 20 मिनट चर्चा की गई।

दिल्लीराष्ट्रीयराजधानीराज्यक्षेत्रविधि (विशेषउपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 –दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010, जो झुग्गी-झोंपड़ी समूहों से संबंधित है, को जहां तक इसका इन समूहों की विद्यमानता की तारीख से संबंध है, 2011 के अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन प्रक्रिया के अधीन है। इसी प्रकार फार्म हाउसों, विशेष क्षेत्रों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई विचाराधीन है और उसे पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2011, 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था और जहां पर्याप्त उपाय अभी किए जाने हैं वहां उन अप्राधिकृत गतिविधियों के संरक्षण को बनाए रखना आवश्यक था। यह विधेयक अधिनियम, 2011 को 01.01.2021 से 31.12.2023 तकतीन वर्ष की अवधि के लिए तक विस्तारित करेगा।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 27 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 7 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा, और जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक स्कीम के अनुरूप निर्वाचित सरकार और उप-राज्यपाल की जिम्मेदारियों को आगे और परिभाषित करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 35 मिनट चर्चा की गई।

(iv) राष्ट्रीय/आंतरिक सुरक्षा

इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि और मानवाधिकारों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए **राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019**[इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 46 मिनट चर्चा की गई], **विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 33 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 26 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई]और **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019**[इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 15 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58 मिनट चर्चा की गई]को पारित किया गया।

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 कानून के उल्लंघन की प्रभावी रोकथाम करने के अलावा आग्नेयास्त्रों से संबंधित या उनका प्रयोग करके किए गए अपराधों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 12 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

(v) श्रम सुधार

मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 – वर्तमान विधेयक में 4 श्रम अधिनियमों, अर्थात्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को शामिल किया गया है। यह वर्तमान समय में अनुसूचित नियोजन के कर्मचारियों के मुकाबले सभी क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को सर्वव्यापी बनाता है। केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करनी है। सामान्यत: 5 वर्षों के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी का संशोधन। मजदूरी के समय पर भुगतान के उपबंधों की सार्वभौमिक अनुप्रयोज्यता।

विधान लाने के कारण:
1. श्रम संबंधीद्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने अन्यबातोंकेसाथ-साथमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा के क्षेत्रों की चार श्रम संहिताओं के सरलीकरण, युक्तिकरण और समामेलन द्वारा सभी मौजूदा श्रम कानूनों को समेकितकरने की आवश्यकता की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने त्रिपक्षीयबैठकोंकेआयोजनसहितहितधारकोंकेसाथपर्याप्तपरामर्शकेपश्चातमौजूदाकेंद्रीयश्रमकानूनोंकेसंगतउपबंधोंकोसरल , समाहित और तर्कसंगत बनाकर मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संबंधीचार श्रम संहिताओंकोतैयारकियाथा।

2. मजदूरी संहिता, 2019 को लोक सभा में पेश किया गया था और इसे जांच के लिए श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। मजदूरी संहिता, 2019 को लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में, मजदूरी संहिता (केंद्रीय)नियम, 2020 को 7 जुलाई, 2020 को प्रकाशित किया गया था।

3. मजदूरी संहिता संसद द्वारा पारित की गई और 08.08.2019 को अधिसूचित की गई थी।

4. इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में चार-चार घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया था और विधेयक पर 4 घंटे 1 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 28 मिनट चर्चा की गई थी।

दावों के समर्थन में सांख्यिकीय आंकड़े:
मजदूरी संहिता, 2019 को लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में, मजदूरी संहिता (केंद्रीय)नियम, 2020 को 7 जुलाई, 2020 को प्रकाशित किया गया था।

उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्यऔरकार्यदशासंहिता, 2020 – इस विधेयक में कारखानों, खदानों, डॉक, निर्माण कार्य कर्मकारों, वृक्षारोपण, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी और सिगार, संविदागत मजदूरों और अंतरराज्यीयप्रवासी कर्मकारों से संबंधित 13 श्रम संबंधी अधिनियम शामिल हैं। संहिता में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा मानकों पर विचार किया गया है जैसे किवेंटीलेशन, पेयजल, कार्य के घंटे, ओवरटाइम के घंटे, छुट्टी, अवकाश आदि। कल्याणकारी उपबंध: कैंटीन, क्रेच, विश्राम कक्ष, प्राथमिक उपचारइत्यादि। नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देने का उपबंध। कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग या प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग में निर्धारित आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए यथा निर्धारित जांच आदि के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गईजिसकी लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, विनिर्माताओं आदि के कर्तव्य। मानदपंजीकरण सहित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, संविदागत कर्मकारों, कारखानों, बीड़ी और सिगार के लिए सामान्य लाईसेंस। "कर्मकार", "प्रतिष्ठान", "उद्योग" के मामले में विभिन्न अधिनियमों में परिभाषाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। परिभाषाओं को13 अधिनियमों में 160 के मुकाबले 65 तक कम किया गया है। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, बागान कामगार अधिनिमय और कारखाना अधिनियम सहित 6 केंद्रीय अधिनियमों के तहत अलग-अलग पंजीकरणों के स्थान पर एक पंजीकरण।

(i) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहितामें अनुप्रयोज्यता सीमा की एकरूपता लाने के लिए अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार की अनुप्रयोज्यता को 10 पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जो अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार है उसके वेतन की सीमा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(ii) पंजीकरण की मांग करते समय डेटा के संग्रह के उद्देश्य के लिए, एक प्रतिष्ठान को अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारोंकी संख्या सूचित करनी होगी।

(iii) निम्नलिखित को शामिल करने के लिए अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारकी परिभाषा का व्यापक विस्तार: (क) ठेकेदार के माध्यम से भर्ती (ख) सीधे नियोक्ता द्वारा भर्ती (ग) अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारदूसरे राज्य में रोजगार के लिए स्वयं आता है।

(iv) अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारके हितलाभ के दायरे को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है: (क) उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाने वाली अवधि में अपने प्रायिक स्थान का दौरा करने के लिए प्रवासी कर्मकार द्वारा यात्रा किए जाने के लिए एकमुश्त भत्ता और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों की पोर्टेबिलिटी प्रदान करने और एक राज्य में भवन और अन्य सन्निर्माण के कार्य में नियोजित और दूसरे राज्य में जाने वाले कर्मकार को लाभ देने की पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा एक योजना तैयार किया जाना। मौजूदा ठेका श्रम अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्य के लिए बार-बार लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत को समाप्त करके "वर्क ऑर्डर" से नहीं जुड़ा एक अखिल भारतीय लाइसेंस शुरू किया गया। सभी ऑडियो-विज़ुअल कर्मकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मकारों को शामिल करने के लिए सिने कर्मकारों के दायरे का विस्तार किया गया है। पांच श्रम अधिनियमों के तहत कई समितियों का एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड में विलय किया गया है। राज्य सलाहकार बोर्ड का उपबंध किया गया है। विभिन्न अधिनियमों में क्रेच, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा, कल्याण अधिकारी आदि जैसे कल्याणकारी उपबंधों की अनुप्रयोज्यता की विभिन्न सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। अपराध शमन की शुरूआत की गई है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति में परिणत होने वाले संहिता के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा

शास्ति का एक हिस्सा पीड़ित या पीड़ित के कानूनी वारिसों को दिया जा सकता है। वेब आधारित निरीक्षण की शुरूआत की गई। और विवरणियों की संख्या को कम किया गया।

(v) इस विधेयक को 7.10.2019 को श्रम और रोजगार संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। 11.12.2020 को लोक सभा में रिपोर्ट पेश की गई थी और राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी। इस विधेयक पर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के साथ चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 3 घंटे 02 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 8 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 42 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:

1. श्रम संबंधीद्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने अन्यबातोंकेसाथ-साथमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा के क्षेत्रों की चार श्रम संहिताओं के सरलीकरण, युक्तिकरण और समामेलन द्वारा सभी मौजूदा श्रम कानूनों को समेकितकरने की आवश्यकता की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने त्रिपक्षीयबैठकोंकेआयोजनसहितहितधारकोंकेसाथपर्याप्तपरामर्शकिपश्चातमौजूदाकेंद्रीयश्रमकानूनोंकेसंगतउपबंधोंकोसरल , समाहित और तर्कसंगत बनाकरमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संबंधीचार श्रम संहिताओंकोतैयारकियाथा।

2. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था और जांच के लिए इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।

3. उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता को संसद द्वारा पारित किया गया और 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

दावों के समर्थन में सांख्यिकीय आंकड़े:

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (केंद्रीय) नियम, 2020 को 19 नवंबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था।

सामाजिकसुरक्षासंहिता, 2020 - वर्तमान विधेयक में 9 श्रमिक अधिनियम शामिल हैं जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम शामिल हैं। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे वाले विधान का सृजन करने का प्रस्ताव करता है। नियोक्ता/कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान के चरणबद्ध सार्वभौमिकरण के लिए एक अधिकार आधारित प्रणाली। सरकार वंचित वर्ग के श्रमिकों के लिए योगदान कर सकती है।विधेयक को 23.12.2019 को श्रम और रोजगार संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। 31.07.2020 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसे 15.09.2020 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस विधेयक पर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के साथ चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 3 घंटे 02 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 8 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 42 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:

1. श्रम संबंधीद्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने अन्यबातोंकेसाथ-साथमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा के क्षेत्रों की चार श्रम संहिताओं के सरलीकरण, युक्तिकरण और समामेलन द्वारा सभी मौजूदा श्रम कानूनों को समेकितकरने की आवश्यकता की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने त्रिपक्षीयबैठकोंकेआयोजनसहितहितधारकोंकेसाथपर्याप्तपरामर्शकिपश्चातमौजूदाकेंद्रीयश्रमकानूनोंकेसंगतउपबंधोंकोसरल , समाहित और तर्कसंगत बनाकरमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संबंधीचार श्रम संहिताओंकोतैयारकियाथा।

2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था और जांच के लिए इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।

3. उक्तसंहिता को संसद द्वारा पारित किया गया और 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 - वर्तमान विधेयक में श्रमसंबंधी 3 अधिनियम, अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; व्यापार संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 शामिलहैं।अनुशासनसंहिताकोप्रतिस्थापितकरनेकेलिएकेंद्र और राज्य सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों या ट्रेड यूनियनों के संघ की मान्यता, बातचीत करने वाले संघ / परिषद की मान्यता की अवधारणा पेश की गई।कर्मकारकी परिभाषा (पर्यवेक्षक घोषित करनेकेलिए सीमा अधिसूचितकीजाएगी) और उद्योग की परिभाषा (बैंगलोर वाटर सप्लाई केस)।नियतअवधिनियोजनकर्मकारश्रेणी में छंटनीकिएगएकर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए री-स्किलिंग फंड शामिल है। एक दिन में 50% या अधिक कर्मकारोंद्वारा आकस्मिक अवकाश को हड़ताल के रूप में मानाजाएगा।जांचन्यायालय, समझौताबोर्ड,
श्रमन्यायालयोंजैसेन्यायनिर्णयकरनेवालेकईनिकायोंकोप्रतिस्थापितकरकेऔद्योगिकअधिकरणकीस्थापना।उपयुक्त सरकार द्वारा औद्योगिक अधिकरणकोविवादकेसंदर्भको समाप्तकिया गया।दोसदस्यीयऔद्योगिकअधिकरण।प्रत्येकव्यष्टिगतसदस्यछंटनी, कामबंदी, हड़ताल आदि से संबंधित मामलों को छोड़कर, सभीमामलोंकान्यायनिर्णयकरसकताहै। पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का विवाद औद्योगिकअधिकरण के दायरे में शामिल कियागयाजैसाकिट्रेडयूनियनोंद्वारामांगकीगईथी। सभी प्रकारकीहड़तालों और तालाबंदी के लिए 14 दिनों के नोटिस की अवधिकाअंत:स्थापनजो पहले केवल जनोपयोगीसेवाओं के लिए आवश्यकथा।अपराधशमनकेउपबंधोंकीशुरूआत।इस विधेयक पर सामाजिक सुरक्षा, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के साथ चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 3 घंटे 02 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 8 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 42 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:
1. श्रम संबंधीद्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने अन्यबातोंकेसाथ-साथमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा के क्षेत्रों की चार श्रम संहिताओं के सरलीकरण, युक्तिकरण और समामेलन द्वारा सभी मौजूदा श्रम कानूनों को समेकितकरने की आवश्यकता की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने त्रिपक्षीयबैठकोंकेआयोजनसहितहितधारकोंकेसाथपर्याप्तपरामर्शकेपश्चातमौजूदाकेंद्रीयश्रमकानूनोंकेसंगतउपबंधोंकोसरल , समाहित और तर्कसंगत बनाकरमजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और उपजीविकाजन्यसुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संबंधीचार श्रम संहिताओंकोतैयारकियाथा।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था और जांच के लिए इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।

3. औद्योगिकसंबंधसंहिताकोसंसद द्वारा पारित किया गया और 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

दावोंकेसमर्थनमेंसांख्यिकीयआंकड़े:
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, 29 अक्टूबर, 2020 को औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020प्रकाशित किएगए।

(vi) परिवहन क्षेत्र संबंधी सुधार

इस क्षेत्र से संबंधित अधिनियमित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधान निम्न प्रकार हैं:-

मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2019अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और जुर्माने को बढ़ाने और मुसीबत में मदद करने वालों के संरक्षण का उपबंध करने के अलावा सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था।

लोक सभा में 27 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 13 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 33 मिनट चर्चा की गई।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण(संशोधन) विधेयक, 2019प्रमुख विमानपत्तनों, जिनमें प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन से अधिक यात्री आते हों, की परिभाषा में संशोधन के अलावा विमानपत्तनोंपर अवसंरचनापरियोजनाओं में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रणाली को अपनाने का अधिकार देने के लिए। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 7 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 18 मिनट चर्चा की गई।

(vii) प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी सुधार

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों का नक्शा बनाकर जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का उपबंध करने की मांग करता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग एक बहुत ही कठिन भूभाग और बहुत कम आबादी वाला एक बड़ा क्षेत्र था और उस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाए ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें। उस मांग को पूरा करने के लिए, तत्कालीनजम्मू और कश्मीर राज्य के कारगिल और लेह जिलों के क्षेत्रों कोमिलाकरबिना विधानमंडल के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र कासृजनकियागया।

इसके अलावा, व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमापार सेआतंकवाद कोदिएजारहेप्रोत्साहनकोध्यानमेंरखतेहुए, कारगिल और लेह जिलों के क्षेत्रों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।

यह विधेयक राज्य केकुछकानूनों को संशोधन या बिना संशोधन के अपनानेया राज्यकेकुछकानूनोंकोनिरस्त करने के अलावा कुछ केंद्रीय कानूनों को संशोधनयाबिनासंशोधनकेलागू करनेकीभीमांगकरताहैताकि नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों को भारत के संविधान के जनादेश का पालन करते हुए शेषभारतकीतरहसमान कानूनों के अनुसार शासितकिया जा सके।

इस विधेयक पर लोक सभा में 34 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 8 घंटे 22 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 44 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 7 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुछ अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से सरकार ने निवासियों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का समाधान करने के लिए **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृतकालोनीनिवासीसंपत्तिमान्यता) विधेयक, 2019**अधिनियमित किया था।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभाऔर राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 25 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 38 मिनट चर्चा की गई।

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019उपबंध करता है किएस.पी.जी.अबप्रधानमंत्रीऔरउनकेसरकारीआवासपरउनकेसाथरहरहेउनकेपरिवारकेसगेसदस्योंकोसुरक्षाउपलब्धकराएगी।यहकिसीभीपूर्वप्रधानमंत्रीकोभीउनकोआबंटितआवासपरउनकेसाथरहरहेउनकेपरिवारकेसगेसदस्यों सहित उनकेद्वाराप्रधानमंत्रीकेपदकोछोड़ेजानेकीतारीखसेपांचवर्षकीअवधितकसुरक्षाउपलब्धकराएगी। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 27 मिनट चर्चा की गई।

संविधान(एकसौछब्बीसवांसंशोधन) विधेयक, 2019अनुसूचितजातियोंऔरअनुसूचितजनजातियोंकेलिएअगलेऔरदसवर्षोंअर्थात 25 जनवरी, 2030 तकसीटोंकेआरक्षणकोजारीरखकरसंविधानकेसंस्थापकोंद्वाराकल्पनाकिएगएरूपमेंसमावेशीचरित्रकोबनाएरखने के

लिए।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 30 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 12 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई।

आधारऔरअन्यविधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 - विधेयक में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं**:**

1. किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक संख्या का उपबंध करना;

2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालकों को अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प प्रदान करना;

3. प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन या अन्य रीति (रीतियों) द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग का उपबंध करना;

4. आधार संख्या का प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है;

5. प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने के कारण सेवाओं से इनकार की रोकथाम;

6. प्रमाणन करने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों को रखना;

7. ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;

8. प्राधिकरण को ऐसे निर्देश देने की शक्ति प्रदान करना जैसे उसके द्वारा आधार पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी इकाई के लिए आवश्यक माने जाएं;

9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष की स्थापना करना;

10. सूचना साझा करने पर प्रतिबंधों को बढ़ाना;

11. दीवानी शास्तियों, उनके अधिनिर्णय और अपील का उपबंध करना;

12. आधार अधिनियम की धारा 57 का विलोप करना;

13. टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य अपने ग्राहक को जानें (के.वाई.सी.) दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देना;

14. सब्सिडी, लाभ या सेवा, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत राज्य की समेकित निधि से व्यय किया जाता है, की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को अनुमति देना।

15. इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 26 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:

(i) निजता सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों से इनकार की रोकथाम के लिए आधार अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन। प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भी परिवर्तन आवश्यक हैं।

(ii) एक स्वीकार्य के.वाई.सी. दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति देने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन।

(iii) एक स्वीकार्य के.वाई.सी. दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन।

दावों के समर्थन में सांख्यिकीय आंकड़े:

चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण नियमों में संशोधन और दूरसंचार विभागके परिपत्र को खारिज कर दिया था और यह भी माना था कि पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह कानून द्वारा अनिवार्य नहीं हो, बैंक और दूरसंचार कंपनियां बैंक खाते खोलने और सिम कार्ड जारी करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग नहीं कर सकती हैं। अनुमान है कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी के पास आधार ही एकमात्र राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज है जिसे वे आसानी से बैंक खाते खोलने और सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि जनसंख्या का इतना बड़ा भाग कानून की कमी के कारण इन सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग नहीं कर सकता है, तो यह करोड़ों लोगों के लिए अत्यधिक कष्ट पैदा करेगा और व्यवधान का कारण बनेगा।

जलियांवालाबागराष्ट्रीयस्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 - संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता, धारा 4 में, उपधारा (ठ) में खंड (ख) का विलोप किया जाएगा, खंड (घ) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: - "(घ) लोक सभा में उस रूप में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।" मूल अधिनियम की धारा 5 में, निम्नलिखित उपबंध अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात: -"परंतु यह कि धारा 4 की उपधारा (ठ) के खंड (छ) के अंतर्गत नामित किसी न्यासधारी के कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त किया जा सकता है।"इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 25 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 23 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 38 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:

धारा 4 का संशोधन करने, उपधारा (ठ) मेंखंड (ख) का विलोप करने, खंड (घ) को प्रतिस्थापित करने तथा धारा 5 में नया उपबंध अंत:स्थापित करने के लिए।

विदेशीअभिदाय (विनियमन) संशोधनविधेयक, 2020 हर साल हजारों करोड़ रुपये के विदेशी अभिदायकीप्राप्तिऔरउपयोगमेंपारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर अनुपालनतंत्रकोमजबूतकरकेऔरसमाजकेकल्याणहेतुकार्यकररहेवास्तविकगैर-सरकारीसंगठनोंयासंघोंकीसहायताकरतेहुएमौजूदा अधिनियम के उपबंधों को सरलऔरकारगरबनाएगा।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 41 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 50 मिनट चर्चा की गई।

(viii) आर्थिक क्षेत्र/कारोबार करने में सुविधा संबंधी उपाय

इस अवधि के दौरान, देश में आर्थिक भावना का समाधान करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण विधान पारित किए गए।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, विकास को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, पुंजी बाजार में स्थिरता लाएगा और पुंजी बाजार में धनके अंतर्वाह में बढ़ोतरी करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 23 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 54 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 11 मिनट चर्चा की गई।

चिटफंड(संशोधन) विधेयक, 2019 चिटफंड क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुगम बनाएगा और उसके माध्यम से अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की बृहतर वित्तीय पहुंच को आसान बनाएगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 36 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 26 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे चर्चा की गई।

उपभोक्तासंरक्षणविधेयक, 2019पूर्वकानून को निरस्त करके और उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को पुनर्जीवित करने; अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता नुकसान की रोकथाम करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों के कठोर परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" के लिए अतिरिक्त प्रावधान के अलावा उत्पादों के प्रत्याहार, प्रतिदाय और वापसी का प्रवर्तन करने सहित वर्गीय कार्रवाई शुरू करने के लिए।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 55 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 45 मिनट चर्चा की गई।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं के लिए एक बाजार विनियमित और विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना करेगा।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 05 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 36 मिनट चर्चा की गई।

नई दिल्ली माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019[इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 16 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 के साथ 4 घंटे 40 मिनट चर्चा की गई], **माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा48 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019 के साथ 4 घंटे 41 मिनट चर्चा की गई]और **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019**[इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 48 मिनट चर्चा की गई]वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंधन प्रणाली को क्रमश: बढ़ावा देने और मजबूत करने का उपबंध करते हैं और इस प्रकार कारोबार करने में आसानी और निवेशकों के बीच विश्वास बहाली को आसान बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा में "न्यास अथवा संस्था" को शामिल करने की मांग करता है ताकि उन उद्यमियों की सीमा में विस्तार किया जा सके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और

विधेयक पर 2 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 27 मिनट चर्चा की गई।

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 व्यवसाय के सामान्य क्रम में ली गई जमाराशियों के अलावा अन्य अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक तंत्र उपलब्ध कराता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 23 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 45 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 33 मिनट चर्चा की गई।

खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के मामले में एक नए पट्टेदार को दो साल की अवधि के लिए सभी वैध अधिकार, अनुमोदन, मंजूरी, लाइसेंस आदि के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने का उपबंध करता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में इसे बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा38 मिनट चर्चा की गई।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रयोजन,यदि कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन में जाती है,दिवाला को रोकने के लिए कॉर्पोरेट देनदारों को लास्ट माइल फंडिंग के पुनर्भुगतान में सर्वोच्च प्राथमिकता देना,वित्तीय लेनदारों के कुछ वर्गों द्वारा संहिता के संभावित दुरुपयोग का निवारण करना, कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमा चलाने और कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए कॉरपोरेटदेनदार और सफल समाधान आवेदक की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के विरूद्ध प्रतिरक्षा उपलब्ध करानाऔर कॉरपोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरना है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में इसे बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 11 मिनट चर्चा की गई।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 न केवल सरकार के लिए समय पर राजस्व पैदाकरके लंबित कर विवादों के समाधान का प्रस्ताव करता है बल्कि इस तरह के विवाद समाधान का विकल्प चुनकरकरदाताभी बचाए गए समय, ऊर्जा और संसाधनों काअपनी व्यावसायिक गतिविधियों मेंउपयोगकरने में सक्षम होंगे।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 30 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 10 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा35 मिनट चर्चा की गई।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020प्रबंधन, पूंजी, लेखापरीक्षा और परिसमापन के संदर्भ में सहकारी बैंकों पर आरबीआई के विनियामक नियंत्रण का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है ताकि सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और उचित विनियमन काउपबंधकियाजासकेऔर यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी बैंकों के मामलों का संचालन ऐसेतरीकेसेकिया जाएजो व्यावसायिकता में वृद्धि, पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने, प्रशासन में सुधार और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सार्थक बैंकिंग सुनिश्चित करतेहुएजमाकर्ताओं के हितों की रक्षाकरे।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 32 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 27 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 42 मिनट चर्चा की गई।

कंपनी(संशोधन) विधेयक, 2020 कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत मामूली प्रक्रियात्मक या तकनीकी खामियों को दीवानी चूक में समाप्त करने का प्रस्ताव करता है; और अदालतों की समग्र विचारधीनता पर विचार करते हुए, ऐसे मामलों में, जहां अन्यथा धोखाधड़ी का कोई तत्व कम हो या बड़े सार्वजनिक हित शामिल नहीं हों, जिनकानिष्पक्षरूपसेनिर्णयकियाजासकताहो, चूक के मामले में आपराधिकता को समाप्त करता है। इसके अलावा, कारपोरेट्सकोजीवन-यापनकरनेमेंअधिक सुगमताप्रदानकरता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 21 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 26 मिनट चर्चा की गई।

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग का प्रवर्तन उपलब्ध कराकर भारतीय वित्तीय बाजारों मेंवित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करता है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 9 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 12 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 5 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 52 मिनट चर्चा की गई।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों में छूट) विधेयक, 2020प्रत्यक्षकर, अप्रत्यक्षकरऔरबेनामीसंपत्तिसंव्यवहारोंसेसंबंधितविनिर्दिष्टअधिनियमोंकेकतिपयउपबंधोंमेंछूटकाउपबंधकरताहै।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 9 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 3 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 11 मिनट चर्चा की गई।

खानऔरखनिज (विकासऔरविनियमन) संशोधनविधेयक, 2021 - तीव्र आर्थिक विकास के लिए खनन क्षेत्र को इसकी पूर्ण क्षमता में विकसित करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक में खनिज क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने, कोयला सहित खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाने, राज्यों का राजस्व बढ़ाने, खदानों के उत्पादन और समयबद्ध परिचालन में वृद्धि करने, पट्टेदारी के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति को बढ़ाने और काफी समय से लंबित पड़े उन मुद्दों का हल करने की मांग करता है जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास को मंद कर दिया है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 26 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 11 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 1 मिनट चर्चा की गई।

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बीमा क्षेत्र के विकास के लिए घरेलू दीर्घकालिक पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल में वृद्धि करने की सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के लक्ष्य को पूरा करना और इसके माध्यम से भारतीय बीमा कंपनियों में सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करके बीमा निवेश और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 35 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 43 मिनट चर्चा की गई।

माध्यस्थमऔरसुलह (संशोधन) विधेयक, 2021माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिनियमित होने के बाद हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारक पक्षकारों को (i) जहां अंतर्निहित माध्यस्थम करार, संविदा या पंचाट निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित हो वहां पंचाट निर्णय के प्रवर्तन पर बिना शर्त के रोक की मांग करने; (ii) मध्यस्थ की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंडों को निर्धारित करने वाली अधिनियम की आठवीं अनुसूची का विलोप करने; और (iii) योग्यता, अनुभव और मानदंडों को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करने का अवसर मिलसके।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 15 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 28 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 31मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीयवित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण हेतु अपेक्षित बॉन्ड्स और व्यूत्पन्न बाजारों के विकास सहित भारत मेंदीर्घकालिक गैर-अवलंब बुनियादी ढांचा वित्त पोषण केविकास में सहायता करने के लिए राष्ट्रीयवित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंकको स्थापनाकरने और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के कारोबार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है।

मुख्य विशेषताएं:

(क) विकास और वित्तीय उद्देश्य दोनों।

(ख) 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ शुरू करना, लेकिन सरकार न्यूनतम 26% के स्वामित्व में आगे बढ़ रही है।
(ग) प्रोफेशनल बोर्ड।
(घ) बोर्ड में अध्यक्ष और गैर सरकारी निदेशकों के रूप में प्रख्यात व्यक्तियों की कल्पना की गई है।
(ड.) परियोजनाओ के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के लिए उपयुक्त उत्पादों का विस्तृत समूह।
(च) 5 वर्षों में एक बार प्रदर्शन की अनिवार्य समीक्षा।
(छ) कम लागत के वित्तपोषण के लिए रियायतें और सहायता।
(ज) निजी डीएफआईज की स्थापना के लिए एक ही स्थान।
(झ) मूल्यांकन और निगरानी में प्रौद्योगिकी पर ध्यान।
(ञ) लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 42 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 48 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:
विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून संप्रभु की इच्छा और इरादे का स्पष्ट कथन होता है। यह अस्पष्टता या बाजार की अटकलों के लिए कोई गुंजाइश न रखते हुए, सुनिश्चित सरकारी सहायता के माध्यम से विश्वसनीयता और वैधता प्रदान करता है।

एक वैधानिक स्थापन के रूप में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / विकास वित्तीय संस्थान, इसके विभिन्न विनियामक लाभ भी होंगे।

दावों के समर्थन में सांख्यिकीय आंकड़े:
(i)अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढांचे मेंसरकार का100 लाख करोड़ रूपये निवेश करने का इरादा।

(ii)राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, बुनियादी ढांचेमें 111लाख करोड़ रूपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

(iii)एनआईपी के वित्तपोषण में कुल आवश्यकता के 8-10%तक डीएफआई से वित्त पोषण की परिकल्पना की गई है।

बैंकों से बुनियादी ढांचा उधार पिछले कुछ सालों से रुका रहा है। मार्च 2016 में बैंकों से बुनियादी ढांचा उधार 9.65 लाख करोड़ था और यह मार्च, 2020 में केवल 10.53 लाख करोड़ तक बढ़ा था जो 4 वर्षों में सिर्फ 9% की वृद्धि है।

महापत्तनप्राधिकरणविधेयक, 2021– विधेयक में भारत में महापत्तनों के विनियमन, संचालन और आयोजना और ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को महापत्तन प्राधिकरण के बोर्डों में निहित करने और उससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करता है।

इस विधेयक का उद्देश्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरस्त करना था ताकि भारत में महापत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को पुनर्जीवित किया जा सके।

भारत के महापत्तन हमारे देश के लिए आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। महापत्तन आयात और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। वर्तमान में भारत के महापत्तनों को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड के "न्यास" के तहत 'सर्विस पोर्ट मॉडल' को लागू करने की दृष्टि से 1960 में अधिनियमित किया गया था। बोर्ड की शक्तियां सीमित हैं और केंद्र सरकार से नीतिगत मामलों पर निदेशों की आवश्यकता है। न्यासी बोर्ड के वर्तमान मॉडल में परिचालन संबंधी बाधाएं हैं और आधुनिक आर्थिक परिदृश्य में, महापत्तन पहले से ही पत्तनों के क्षेत्र में उन्नति और विकास को ध्यान में रखते हुए और निजी पत्तनों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 7 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 41 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 22 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:
अधिक स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करने और महापत्तनों के शासन को पेशेवर बनाने की दृष्टि से, एक नया विधान लाया जा रहा है ताकि महापत्तन एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय मॉडल को अपनाने और विकसित हो रहे बाजार में बदलावों को लागू करने के लिए सक्षम हो सकें। महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 में प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ; महापत्तनों के प्रशासन में काफी सुधार होगा और निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे। महापत्तनों को टैरिफ, पत्तन परिसंपत्ति विकास, पत्तन की सीमाओं के भीतर बुनियादी ढांचे की मास्टर प्लानिंग और महापत्तनों के परिचालन हेतु विनियम बनाने की शक्तियों सहित कई प्रमुख मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी। विधेयक में एक अधिनिर्णायक मंडल के गठन का भी उपबंध है जो महापत्तनों, सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले रियायतग्राहियों और बंदी प्रयोक्ताओं के बीच विवादों का न्यायनिर्णय करेगा। विधेयक पत्तनों के लिए दरों की अनुसूची निर्धारण और टैरिफ निर्धारण की शक्ति सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में रियायतग्राहियों को प्रत्यायोजित करता है।

विधेयक से उम्मीद की जाती है कि यह भारत में महापत्तनों के प्रशासन के संदर्भ में एक नए युग का सूत्रपात करेगा जहां महापत्तन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और विकास के ऐसे लैंडलॉर्ड मॉडल को अपनाते हुए विश्वस्तरीय पत्तन अवसंरचना उपलब्ध कराएंगे जहां मूल बुनियादी ढांचा पत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाता है और कमर्शियल संचालन में निजी व्यवसायियों को बोली लगाने का अवसर दिया जाता है।

पोतोंकापुनर्चक्रणविधेयक, 2019– विधेयक का उद्देश्य पोतों के पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करके और ऐसे मानकों के प्रवर्तन हेतु सांविधिक तंत्र तैयार करके पोतों के पुनर्चक्रण के विनियमों का प्रवर्तन करना है। विधेयक में निम्नलिखित उपबंध शामिल हैं:

(क) पोत निर्माण और संचालन के दौरान खतरनाक पदार्थों के रखरखाव और उनके उपयोग संबंधी नियम और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण।

(ख) केवल अधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं में पोतों का पुनर्चक्रण।

(ग) पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कल्याण के लिए पर्याप्त उपायों का उपबंध सुनिश्चित करना और नियमित एवं अस्थायी श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत और व्यापक बीमा कवरेज।

(घ) पर्यावरणीय रूप से सही और सुरक्षित तरीके से पोतों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया।

(ड.) पोतों के पर्यावरणीय रूप से सही और सुरक्षित पुनर्चक्रण के उपबंधों के उल्लंघन के लिए वैधानिक दंड।

(च) इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 42 मिनट चर्चा की गई।

विधान लाने के कारण:

(क) प्रस्तावित विधेयक का प्रयोजन हांगकांग कन्वेंशन के उपबंधों को, जब भी वे लागू हों, कार्यान्वित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना था।

(ख) पोतों को तोड़ने संबंधी संहिता (संशोधित), 2013, जिसके तहत पोत पुनर्चक्रण उद्योग को वर्तमान में विनियमित किया जाता है, जिसमें डिजाइन, निर्माण और मरम्मत में खतरनाक सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध और बंधन से संबंधित हांगकांग कन्वेंशन के उपबंधों के समान कोई उपबंध नहीं है।

(ग) प्रस्तावित विधेयक और विधेयक के अधीनस्थ विधान में मौजूदा संहिता और हांग कांग कन्वेंशन के उपबंध शामिल होंगे जो संहिता में उपलब्ध नहीं हैं।

(ix) शिक्षा सुधार

इस अवधि के दौरान भारत में शिक्षा सुधारों को और मजबूत करने के लिए भी कुछ विधेयक पारित किए गए।

केंद्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयविधेयक, 2020 का उद्देश्य संस्कृत के तीन मानद विश्वविद्यालयों अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को संस्कृत और शास्त्री शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करना है। इससे बेहतर संकाय मिलने, विदेशी छात्रों, संस्कृत के विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विदेशी संकाय को आकर्षित करने और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मदद मिलेगी।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 30 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020राष्ट्रीयविधिविज्ञानविश्वविद्यालयकेनामसेज्ञातएकसंस्थाको,अध्ययनऔरअनुसंधानकोसुकरबनानेऔरउसकासंवर्धनकरनेतथाअनुप्रयुक्तव्यवहारविज्ञानअध्ययन, विधि, अपराधविज्ञानतथाअन्यआनुषंगिकक्षेत्रोंमेंऔरप्रौद्योगिकीतथाअन्यसंबंधितक्षेत्रोंमेंराष्ट्रीयमहत्ताकीसंस्थास्थापितऔरघोषितकरनेकाउपबंधकरताहै।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में एक-एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। इसे लोक सभा में बिना चर्चा के पारित किया गया था। राज्य सभा में 5 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 18 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020राष्ट्रीयरक्षाविश्वविद्यालयकीस्थापनाकरनेऔरउसकीराष्ट्रीयमहत्वकीसंस्थाकेरूपमेंघोषणाकरनेऔरउसकेनिगमनकाउपबंधकरनेकाप्रस्तावकरताहै।विश्वविद्यालयकाअनुसंधानतथाविभिन्नपणधारियोंकेसाथसहयोगकेमाध्यमसेनईजानकारीकासृजनकरनेऔरपुलिसव्यवस्था,
दांडिकन्यायप्रणालीऔरसुधारकप्रशासनकेविभिन्नखंडोंमेंविशेषीकृतज्ञानऔरनएकौशलकेसाथप्रशिक्षितवृत्तिकोंकेपूलकेलिएआवश्यकताकोपूराकरनेमेंसहायताकरनेकेलिएएकबहुशाखावालेविश्वविद्यालयकेरूपमेंहोनाप्रस्तावितहै।विश्वविद्यालयकेसंबंधअन्यदेशोंमेंविश्वस्तरीयविश्वविद्यालयोंकेसाथहोंगे,जोसमकालीनअनुसंधानकेआदान-प्रदान, शैक्षणिकसहयोग, पाठ्यक्रमडिजाइन,तकनीकीजानकारीऔरप्रशिक्षणतथाकौशलविकासकेप्रयोजनोंकेलिएआवश्यकताआधारितहोंगे।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में एक-एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 11 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 17 मिनट चर्चा की गई।

(x) कोविड-19 से संबंधित विधान

विधायी उपायों के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 संसद सदस्यों को देय वेतन को 01.04.2020 से एक वर्ष की अवधि तक 30% तक कम करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभाऔर राज्य सभा दोनों में एक-एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 20सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 15 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2020के साथ 1 घंटा 20 मिनट चर्चा की गई।

मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रत्येक मंत्रीकोदेयआतिथ्य भत्ते को दिनांक 01.04.2020 सेएकवर्षकीअवधितक 30% तककमकरताहै।राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया गया था। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020के साथ 1 घंटा 20 मिनटचर्चा की गई।

महामारी (संधोधन) विधेयक, 2020का आशयकोविड-19 महामारी के दौरान शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति के नुकसान सहित हिंसात्मक कार्यों की रोकथाम करनाऔर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना है।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 35 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 15 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 57 मिनट चर्चा की गई।

दिवालाऔरशोधनअक्षमतासंहिता(दूसरासंशोधन) विधेयक, 2020संहिताकेअधीननिगमितदिवालानिपटानप्रक्रियाकेआरंभकोअस्थायीरूपसे, प्रारंभमेंछहमासयाऐसीअतिरिक्तअवधि, जो 25 मार्च, 2020 सेएकवर्षसेअनधिकहो, केलिएकोविड-19द्वाराप्रभावितकंपनियोंकोदिवालाकार्यवाहियोंमेंधकेलेजानेकीआशंकाकासामनाकिएबिनावित्तीयसंकटसेउभरनेमेंसहायताप्रदानकरनेकेलिएनिलंबितकरनेकाउपबंधकरताहै।इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 15 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 57 मिनट चर्चा की गई।

3. संसदीयप्रक्रियाऔरपद्धतिपरप्रशिक्षणपाठ्यक्रम

संसदीयकार्यमंत्रालयराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकीसरकारोंऔरकेंद्रीयसरकारकेअधिकारियोंकेलाभार्थसंसदीयप्रक्रिया औरपद्धतिपरप्रशिक्षणपाठ्यक्रमोंकाआयोजनकरताहै।प्रशिक्षणकार्यक्रमकाउद्देश्यविभिन्नसंसदीयविषयोंकासिंहावलोकन औरकार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसदीय कार्य से जुड़े अधिकारियों को एक मंच प्रदान करना है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2019 को सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

[सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम]

अणुशक्ति भवन, मुंबई में दिनांक 04.08.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

[04.08.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के अधिकारियों/कर्मचारियों के आयोजित अभिविन्यास कार्यशाला]

4. लोकसभामेंनियम 377 केतहतऔरराज्य सभामें विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

लोकसभाकेजोसदस्यकिसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इन मामलों को सामान्यत: प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के निपटान के पश्चात उठाया जाता है।

17वीं लोक सभा की अब तक की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1942 मामले और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से 569 मामले उठाए जा चुके हैं। इनमें से लोक सभा मं कुल 1664 मामले और राज्य सभा में 400 मामले निपटाए जा चुके हैं।

5. शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले

'शून्यकाल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य, पीठासीन अधिकारियों की अनुमति से, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1929 मामले उठाए गए जो सभी लोक सभाओं के समकक्ष वर्षों की तुलना में अधिकतम हैं और राज्य सभा में 788 मामले उठाए गए।

6. आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)

आश्वासन अनुभाग लोक सभा और राज्य सभा के वाद-विवाद में से आश्वासनों को निकालते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजते हैं। मंत्रालयों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उनके मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वयन प्रतिवेदन कहे जाने वाले एक विवरण के रूप में कार्यान्वित करना अपेक्षित है। इन प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने से पहले मंत्रालय-वार और सत्र-वार सारणीबद्ध किया जाता है।

17वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान, लोक सभा के वाद-विवादों में से कुल 1311 आश्वासन निकाले गए और कुल 1679 (पिछलेवर्षोंसहित) कार्यान्वयन प्रतिवेदनोंकोसदनकेपटलपररखागया।इसीप्रकार, इसअवधिकेदौरान, राज्य सभा के वाद-विवाद में से कुल 608 आश्वासन निकाले गए और कुल 712(पिछलेवर्षोंसहित) कार्यान्वयन प्रतिवेदनोंकोसदनकेपटलपररखागया।

सरकार की पूर्व-सक्रियताकेकारण, आश्वासनोंकीपूर्तिकीदरसदनमेंदिएगएआश्वासनोंकीतुलनामेंबेहतररहीहै।

7. अनुसंधानसंबंधीगतिविधियां

भारतसरकारमेंसंसदीयप्रक्रियाकीनियमपुस्तिका

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका का अद्यतनीकरण किया गया और इसे जुलाई, 2019 के दौरान जारी किया गया।संशोधितनियमपुस्तिकामेंविभिन्नपरिवर्तनशामिल किए गए हैं जो संसदीय प्रक्रिया और पद्धति, विधायी प्रक्रियाओं, अनुदान मांगों की जांच करने में संसद की विभागीय संसदीय समितियों की भूमिका, विधेयकों, मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों, सदनों में पेश किए जाने वाले दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों में आए हैं। डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सरकारीआश्वासनोंकेसंबंधमेंऑनलाइनआश्वासननिगरानीप्रणाली(ओ.ए.एम.एस.) कीशुरूआतकीहैऔरइसेसंशोधितनियमपुस्तिकामेंउचितरूपसेशामिलकियागयाहै।मंत्रालयों/विभागोंद्वारानियमबनानेकेसंबंधमेंविधायीविभागकेसाथपरामर्शप्रक्रियामेंमहत्वपूर्णपरिवर्तनहुएहैंऔरउन्हेंभीनियमपुस्तिकामेंशामिलकियागयाहै।

यहनियमपुस्तिकाभारतसरकारकेविभिन्नमंत्रालयों/विभागोंकेलिएअत्यंतउपयोगीहैऔरसंसदीयकार्यऔरप्रक्रियाओं कोसमझनेमेंमार्गदर्शकपुस्तिकाकेरूपसहायताकरतीहै।

संसदीयकार्यमंत्रालयकीसांख्यिकीयपुस्तिका

यहसंसदीयकार्यमंत्रालयद्वाराविभिन्नउपयोगीसंसदीयआंकड़ोंकाएकवार्षिकसंकलनहैऔरइसमेंपुर:स्थापित, पारितविधेयकों, सदनोंकीबैठकों, बजट, सदनोंद्वारानिष्पादितअन्यकार्य, परामर्शदात्रीसमितियोंइत्यादिसेसंबंधितविस्तृतसूचनाशामिलहै।सांख्यिकीयपुस्तिकासरकारीकर्मचारियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियोंऔरउनसभीकेलिएएकउपयोगीदस्तावेजहैजिन्हेंसंसदीयगतिविधियोंकेअध्ययनमेंरूचिहै।सांख्यिकीयपुस्तिकाको अगस्त, 2019 मेंसंशोधितकियागयाथा।

संसदीयकार्यमंत्रालयकेकार्यचालनसंबंधीपुस्तिका

संसदीयकार्यमंत्रालयकेकार्यचालनसंबंधीपुस्तिका,जोमंत्रालयकेअधिकारियोंकोअपनाकार्यकरनेमेंमददकरतीहै, इसमंत्रालयका 2004 मेंप्रथमबारप्रकाशितएकऔरप्रकाशनहै, जिसेसितंबर, 2019 मेंअद्यतितकियागयाथा।

उपरोक्तसभीतीनोंप्रकाशनइसमंत्रालयकीवेबसाइट(https://mpa.gov.in)परउपलब्धहैं।

8. युवासंसद

युवा संसद (ऑफलाइन)

युवासंसदप्रतियोगिताकीइसमंत्रालयद्वाराचलाईजारहीचारयोजनाएंहैं:

1. दिल्लीकेविद्यालयोंकेलिएयुवासंसदप्रतियोगिता
2. केंद्रीयविद्यालयोंकेलिएराष्ट्रीययुवासंसदप्रतियोगिता
3. जवाहरनवोदयविद्यालयोंकेलिएराष्ट्रीययुवासंसदप्रतियोगिता
4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजोंकेलिएराष्ट्रीययुवासंसदप्रतियोगिता

उपरोक्तयोजनाओंकेअलावा, मंत्रालयराज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम के सभी भावी प्रतिभागियों के लाभार्थ राज्य सभा टीवी की मदद से युवा संसद पर एक वीडियो टुटोरिअल(प्रशिक्षणसामग्री) तैयार किया गया।

युवा संसद (ऑनलाइन)

मंत्रालयकेयुवा संसद कार्यक्रम के दायरे को अब तक अनछुए वर्गों और देश के कौने-कौने तक विस्तारित करने के लिएएन.आई.सी. कीतकनीकीसहायतासेयुवासंसदकावेब पोर्टल विकसितकियागया था। पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

योजनामेंदोशाखाओं की कल्पना की गई है:- कक्षा IX सेकक्षाXII केविद्यार्थियोंकेलिएकिशोरसभाऔरस्नातक/स्नातकोत्तरस्तरकेविद्यार्थियोंकेलिएतरूणसभा।राष्ट्रीय युवा संसद योजना के पोर्टल पर अभी तक देशभर की विभिन्न संस्थाओं से 7,950 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और इनमें से अभी तक 2,834 पंजीकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं।

9. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडलने 06.04.2020 कोआयोजितअपनीबैठकमेंकोरोनाविषाणु(कोविड-19)महामारी से उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए संसद सदस्यों के वेतन को 01.04.2020 सेएकवर्षकीअवधिकेलिए30%तककमकरनेकेसंसदीयकार्यमंत्रालयकेप्रस्तावकोअनुमोदितकिया था।परिणामस्वरूप, इससंबंधमें 07.04.2020 कोएकअध्यादेशअर्थातसंसदसदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 कासंख्या 3) प्रख्यापितकियागयाथा औरउक्तअध्यादेशकोप्रतिस्थापितकरनेकेलिएसंसदसदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 अधिनियमितकियागया।

संसदसदस्योंकेवेतनऔरभत्तोंसंबंधीसंयुक्तसमितिने 5 और 6 अप्रैल, 2020 कोआयोजितअपनीबैठकोंमें, (i) 01.04.2020 सेप्रभावीएकवर्षकीअवधिकेलिएनिर्वाचनक्षेत्रसंबंधीभत्तेमेंप्रतिमाह30% कटौतीऔर(ii) 01.04.2020 सेप्रभावीएकवर्षकीअवधिकेलिएकार्यालयव्ययभत्तेमेंप्रतिमाह 30% कटौती (केवललेखनसामग्रीघटकसे, कर्मचारीवेतनकेघटकमेंसेनहीं) कीसिफारिशकीथी।मंत्रालयनेअपनीसहमतिप्रदानकीऔरतत्पश्चात 7 अप्रैल, 2020 कोलोक/राज्यसभासचिवालयोंद्वाराइससंबंधमेंअपेक्षितअधिसूचनाएंजारीकीगई।

10. परामर्शदात्रीसमितियां

मंत्रालयसंसदसदस्योंकीपरामर्शदात्रीसमितियोंकागठनकरताहैतथासत्रावधिऔरअंत:सत्रावधिकेदौरानउनकीबैठकेंआयोजितकरनेसंबंधीव्यवस्थाकरताहै।इसअवधिकेदौरान:-

(क) विभिन्नमंत्रालयोंकेलिए 38 परामर्शदात्रीसमितियांगठितकीगई।

(ख) विभिन्नमंत्रालयोंकीपरामर्शदात्रीसमितियोंकी 61 बैठकेंआयोजितकीगई।

(ग) 38 परामर्शदात्रीसमितियांगठितकरनेकेपश्चात 203 सदस्योंकोभीविभिन्नमंत्रालयोंकेलिएविभिन्नपरामर्शदात्रीसमितियोंपरनामितकियागया।

(घ) विभिन्नमंत्रालयोंकेलिएविभिन्नपरामर्शदात्रीसमितियोंमेंसे 92 संसदसदस्योंकेनामोंकाविलोपकियागया।

भारतसरकारकेविभिन्नमंत्रालयों/विभागोंद्वारागठितविभिन्नसमितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगोंआदिपरसंसदसदस्योंकानामांकन–

(क) 13 संसदसदस्योंकोबोर्डअर्थातराष्ट्रीयवन्यजीवनबोर्ड, नेहरूयुवाकेंद्रसंगठनऔरभारतीयमानकब्यूरोपरनामितकियागया।

(ख) 2 संसद सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकासंवर्धनसोसाइटीकेसामान्य निकाय पर नामित किया गया।

(ग) 14 संसद सदस्यों को केंद्रीय वक्फ परिषद, राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद पर नामित किया गया।

(घ) 15 संसद सदस्यों को केंद्रीय सलाहकार समिति, चयन समिति, नवोदय विद्यालय समिति पर नामित किया गया।

(ङ) 192 संसद सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

(च) 33 संसद सदस्यों को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

(छ) 64 संसद सदस्यों को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति पर नामित किया गया।

(ज) 160 संसद सदस्यों को आंचलिक रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति पर नामित किया गया।

(झ) 15 संसद सदस्यों को राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति पर नामित किया गया।

(ञ) 8 संसद सदस्यों को कोंकण रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति पर नामित किया गया।

(ट) 3 संसद सदस्यों को मेट्रो रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति पर नामित किया गया।

11. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

"प्रौद्योगिकी प्रोत्साहनदेश के लोकतांत्रिक संस्थानों को भी सशक्त बना रहा है।इस दिशा में ई-विधानएप्लिकेशनके माध्यम से विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। राज्योंकीविधानसभाओंमेंनेवा – ई-विधानएप्लिकेशनका कार्यान्वयन विधायी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में एक नए युग की शुरुआत करेगा।"

- भारतकेराष्ट्रपतिसंसदमेंअभिभाषणकेदौरान -

केवडिया, गुजरात में संविधान दिवस समारोह के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित दो दिवसीय 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 26नवंबर, 2020को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ देश के सभी विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों से आग्रह किया था कि विधानमंडलों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंताकि उनके कामकाज को कागज-रहित बनाया जा सके और विधानमंडलों में अभिनव प्रौद्योगिकी को अपनाएं। प्रधानमंत्री ने पीठासनी अधिकारियों से ऐसी प्रणाली को अपनाने का भी आग्रह किया था जिसमें केंद्रीय डाटाबेस और वास्तविक समय की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं न केवल विधायकों की बल्कि देश के नागरिकों की भी पहुंच में हों। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सभी विधानमंडलों के कामकाज को कागज-रहित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) कोसंसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में पहले ही विकसित किया जा चुका है।

विधानमंडलों का डिजटलीकरण करने और उनके कामकाज को कागज-रहित बनाने के लिए नेवा ई-विधान - "मिशन मोड परियोजना" का हिस्सा है। नेवा एक सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो उन्हें उनके हस्तधारित उपकरणों/टैबलेट्स में उनके द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना उपलब्ध कराकर सदन के विविध कार्य को संभालने के लिए और विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को इस पर कुशलता से कार्य करने के लिए सशक्त बनाती है। नेवा उपकरण अज्ञेयवादी ऐप हैजो डेस्क्टॉप, लैपटॉप, आईपैड और स्मार्ट फोन पर चलती है। यह एप्लिकेशन सभी विधानमंडलों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। यह एप्लिकेशन संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, पटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति प्रतिवेदनों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सारांश, अनंतिम कैलेंडर, मंत्रालयों के रोटेशन, समाचार और प्रेस विज्ञप्तियों तथा संदर्भ सामग्री के अलावा नोटिसों, सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों के सूचनार्थ समय-समय पर विधानमंडलों द्वारा जारी किए जा रहे समाचारों जैसी सभी संगत सूचना उपलब्ध कराती है।

नेवा समिति की बैठकों, उनकीकार्यसूचीसहितसभीसमितियोंकीसंरचनासेसंबंधितसूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसेकिवेतन और भत्तोंइत्यादिसेसंबंधितसूचनाभीउपलब्धकराती है। इसएप्लिकेशन परलाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भीउपलब्धहै। लोकसभा/राज्य सभाटीवी, दूरदर्शनकासीधाप्रसारण राज्यविधानमंडलोंकेसंबंधमेंसमानसुविधाके साथ पहलेहीसक्षमकिया जा चुका गयाहै।नेवा विधानमंडलों के कामकाज को नागरिकों के करीब लाकर लोकतंत्र को उनके करीब लाएगी। विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों तक नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करके,

नेवा नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक अनुबंध का अवसर प्रदान करता है और ऐसाकरतेहुएलोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एकनिर्णायककदम है।

- परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन दिया जा चुका है।
- नेवा की सार्वजनिक वेबाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों विकसित की जा चुकी हैं और यह प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में शुरू किए जाने के लिए तैयार है।
- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाएं/वीडियो कॉनफ्रेंस संचालित की गई:-
  - चरण-I की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - 20
  - चरण-II की संख्या (3 दिवसीय कार्यशाला) - 13
  - चरण-III की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) -2
  - वीडियो कॉनफ्रेंसों की संख्या - 15
- बिहार विधान परिषद जुलाई, 2019 में मानसून सत्र के दौरान ऑनलाइन प्रश्न स्वीकार करने वाला देश का पहला सदन बन चुका है।
- विधानमंडलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अरूणाचल प्रदेश विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी संचालित किए गए हैं।
- नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर 16 राज्यों (17 सदन) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और विधान परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है।

[डॉ. आर.एस. शुक्ल, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय तमिलनाडु में 19 फरवरी, 2021 को श्री राजीव रंजन, मुख्य सचिव; श्री हंसराज, ए.सी.एस. (आई.टी.); श्री के. श्रीनिवासन, विधानसभा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति पर समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए]

- नेवापरियोजनाकीमंजूरीकेलिएविस्तृतपरियोजनारिपोर्ट 9 राज्यों (10 सदन)अर्थात पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और विधान परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम,तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश और मेघालयद्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदन) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान भी किया जा चुका है।

राज्यों के विधानमंडलों को वित्तीय सहायता		
राज्य	**मंजूर की गई कुल राशि**	**पहली किस्त की राशि**
पंजाब	12,31,05,100/-	1,47,72,612/-

ओडिशा	8,56,36,649.53/-	1,02,96,408/-
बिहार विधानसभा	15,97,00,100/-	1,91,64,012/-
बिहार विधान परिषद	8,21,46,550/-	98,57,586/-
मणिपुर	9,57,91,050/-	1,72,42,389/-
नागालैंड	8,72,29,700/-	1,57,01,346/-
सिक्किम	8,48,23,450/-	1,52,68,221/-
तमिलनाडु	15,55,50,750/-	1,86,66,090/-

- अन्य राज्यों के विधानमंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है।
- ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने अपने राज्यों के बजट नेवा के माध्यम से डिजीटल रूप में पेश किए हैं।

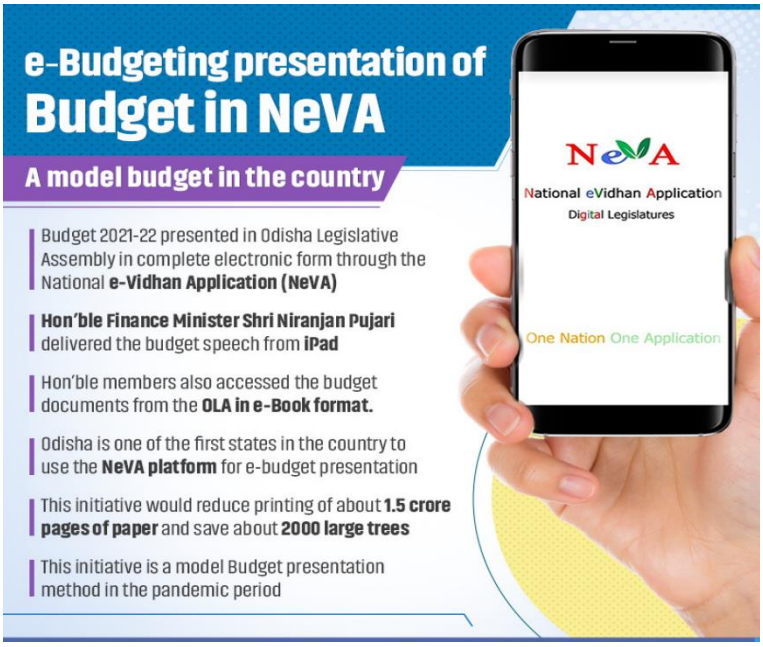

[नेवा के माध्यम से ओडिशा विधानसभा में कागज-रहित बजट का प्रस्तुतिकरण]

*****

12. अनुबंध

17वीं लोक सभा के पहले दो वर्षों के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

क्र.सं.	विधेयक का नाम	लोक सभा			राज्य सभा		
		कार्य मंत्रणा समिति, लो.स. द्वारा आबंटित समय	लिया गया समय घंटे-मिनट	वक्ताओं की संख्या	कार्य मंत्रणा समिति, रा.स. द्वारा आबंटित समय	लिया गया समय घंटे-मिनट	वक्ताओं की संख्या
1.	* विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	2-42	12	03 घंटे	2-24	18
2.	* जम्मू और कश्मीर आरक्षण(संशोधन) विधेयक, 2019	01 घंटा	3-53	16	02 घंटे	5-57	27
3.	* होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	2-55	18	02 घंटे	2-12	18
4.	* केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019	02 घंटे	3-57	23	04 घंटे	3.05	22
5.	* भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद(संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	4-06	22	04 घंटे	2-51	15
6.	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	2-31	18	02 घंटे	0-42	10
7.	* आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019	03 घंटे	4-32	25	03 घंटे	1-26	18
8.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	01 घंटा	1-46	13	01 घंटा	2-54	21
9.	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	3-58	20	02 घंटे	2-46	22
10.	* नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019	02 घंटे	2-16	10	02 घंटे	4-40	24 क्र.स.19 के साथ चर्चा की गई
11.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019	12 घंटे बजट के लिए आबंटित	17-23		04 घंटे	2-52	12
12.	वित्त(संख्यांक 2) विधेयक, 2019	04 घंटे	4-49	19			
13.	मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	2-32	15	02 घंटे	3-58	19

14.	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019	03 घंटे	3-52	23	04 घंटे	4-30	24
15.	* अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019	02 घंटे	3-45	23	02 घंटे	2-33	22
16.	* मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019	03 घंटे	6-03	28	04 घंटे	5-29	37
17.	* कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	2-08	11	02 घंटे	1-10	10
18.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019	04 घंटे	3-23	18	03 घंटे	3-48	22
19.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019	03 घंटे	1-48	12	02 घंटे	4-40	24 क्र.स.10 के साथ चर्चा की गई
20.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण(संशोधन) विधेयक, 2019	04 घंटे	3-52	29	04 घंटे	3-53	28
21.	विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	4-33	24	04 घंटे	4-23	26
22.	मजदूरी संहिता, 2019	04 घंटे	4-01	22	04 घंटे	3-28	21
23.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2019	01 घंटा	0-00		02 घंटे	0-50	12
24.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019	03 घंटे	2-07	12	02 घंटे	2-18	18
25.	मोटरयान(संशोधन) विधेयक, 2019	04 घंटे	5-13	27	03 घंटे	4-33	25
26.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019	04 घंटे	6-07	30	03 घंटे	4-56	24
27.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019	03 घंटे	3-55	25	04 घंटे	3-45	22
28.	सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019	02 घंटे	2-02	14	02 घंटे	1-32	13
29.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019	-	8-22	34	-	7-21	44
30.	सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधनविधेयक, 2019	02 घंटे	2-33	15	03 घंटे	0-00	-
31.	जलियांवालाबागराष्ट्रीयस्मारक(संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	3-25	21	02 घंटे	2-38	23
32.	उभयलिंगीव्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019	03 घंटे	3-52	19	03 घंटे	5-03	17

33.	चिटफंड(संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	5-51	36	02 घंटे	3-00	26
34.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान(संशोधन) विधेयक, 2019	02 घंटे	2-26	21	01 घंटा	0-54	12
35.	* इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019	03 घंटे	5-03	21	4 घंटे	4-36	28
36.	विशेष संरक्षा ग्रुप(संशोधन) विधेयक, 2019	2 घंटे	2-51	13	2 घंटे	2-27	21
37.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का आमेलन) विधेयक, 2019	01 घंटा	0-52	06	02 घंटे	1-07	14
38.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृतकालोनीनिवासीसंपत्तिमान्यता) विधेयक, 2019	03 घंटे	4-25	19	03 घंटे	3-38	19
39.	* कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019	2 घंटे	4-54	23	3 घंटे	3-11	16
40.	पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019	03 घंटे	3-53	24	03 घंटे	2-42	18
41.	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019	03 घंटे	2-47	19	02 घंटे	2-11	24
42.	नागरिकता(संशोधन) विधेयक, 2019	04 घंटे	7-28	48	06 घंटे	8-43	44
43.	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019	2 घंटे	4-12	30	3 घंटे	3-32	24
44.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019	2 घंटे	3-05	21	3 घंटे	0-36	04
45.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019	4 घंटे	5-05	27	3 घंटे	1-26	08
46.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020	1 घंटा	1-22	19	3 घंटे (अन्य विधेयक के साथ जो अभी भी लंबित है)	1-32	16
47.	* खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020	3 घंटे	0-09	-	2 घंटे	1-38	10
48.	* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020	3 घंटे	0-09	-	2 घंटे	1-11	12

49.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020	2 घंटे	1-10	30	3 घंटे	1-35	12
50.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	2 घंटे	3-58	28	1 घंटा	2-30	20
51.	विनियोग विधेयक, 2020	12 घंटे बजट के लिए आबंटित	11-51	131	04 घंटे क्र.सं. 52 और 57 के साथ चर्चा की गई	0-01	-
52.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020	3 घंटे	6-39	33	04 घंटे क्र.सं. 51 और 57 के साथ चर्चा की गई	0-01	-
53.	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020	4 घंटे			3 घंटे	2-07	06
54.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020						
55.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक3) विधेयक, 2020						
56.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक4) विधेयक, 2020				2 घंटे		
57.	वित्त विधेयक, 2020	4 घंटे	0-29	-	04 घंटे क्र.सं. 51 और 52 के साथ चर्चा की गई	0-01	-
58.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020	2 घंटे	0-33	16	04 घंटे	5-21	25
59.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020	3 घंटे					
60.	वायुयान(संशोधन) विधेयक, 2020	3 घंटे	3-06	25	2 घंटे	2-11	19
61.	आयुर्वेद शिक्षणऔरअनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020	3 घंटे	3-22	34	2 घंटे	1-15	17
62.	*संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020	1 घंटा	1-15	20	1 घंटा	1-20	19 क्र.स.65 के साथ चर्चा की गई
63.	* कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक , 2020	समिति ने समय आबंटित करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया	5-36	44	4 घंटे	4-14	33
64.	*कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020						

65.	*मंत्री वेतन और भत्ता(संशोधन) विधेयक, 2020	-	0-00	9	1 घंटा	1-20	19 क्र.स.62 के साथ चर्चा की गई
66.	*दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020	2 घंटे	2-26	18	2 घंटे	1-59	16
67.	*महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020	3 घंटे	3-15	35	2 घंटे	1-57	20
68.	*होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020	2 घंटे	0-44	12	2 घंटे	1-44	16
69.	*भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020	1 घंटा	0-44				
70.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020	2 घंटे	2-24	29	2 घंटे	0-51	06
71.	*आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020	2 घंटे	2-23	19	3 घंटे	0-41	06
72.	*बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020	3 घंटे	3-27	32	2 घंटे	0-42	06
73.	कंपनी(संशोधन) विधेयक, 2020	4 घंटे	1-21	12	2 घंटे	0-26	04
74.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	1 घंटा	0-06	-	1 घंटा	0-18	05
75.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020	1 घंटा	0-11	4	1 घंटा	0-17	04
76.	* कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों में छूट और संशोधन) विधेयक, 2020	3 घंटे	4-09	20	2 घंटे	0-11	03
77.	अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020	2 घंटे	0-12	9	1 घंटा	0-52	5
78.	विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020	02 घंटे	1-41	13	01 घंटा	0-50	6
79.	उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020	03 घंटे	3-02	17	04 घंटे	0-42	8
80.	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020						
81.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020						

82.	जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020	01 घंटा	0-17	03	01 घंटा	0-30	6
83.	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020	04 घंटे	4-38	33	02 घंटे	-	-
84.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020						
85.	* जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021	3 घंटे	3-57	17	2 घंटे	1-50	09
86.	* माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021	2 घंटे	2-28	15	2 घंटे	0-31	04
87.	* दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021	2 घंटे	0-27	04	1 घंटा	1-07	13
88.	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021	2 घंटे	0-41	07	2 घंटे	2-22	20
89.	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021	2 घंटे	2-14	19	2 घंटे	2-11	18
90.	बीमा(संशोधन) विधेयक, 2021	2 घंटे	2-35	13	4 घंटे	3-43	18
91.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021	3 घंटे	3-26	21	3 घंटे	4-01	11
92.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021	2 घंटे	2-07	13	1 घंटा	1-20	10
93.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021	10 घंटे बजट के लिए आबंटित	14-42	146	4 घंटे	3-05	14
94.	विनियोग विधेयक, 2021	4 घंटे	3-41	24			
95.	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021	4 घंटे	2-30	10	4 घंटे		
96.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021						
97.	पुडुचेरीविनियोगविधेयक, 2021	3 घंटे					
98.	पुडुचेरीविनियोग(लेखानुदान)विधेयक, 2021						
99.	वित्त विधेयक, 2021	4 घंटे	6-08	25	4 घंटे	6-24	23
100.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021	2 घंटे	2-33	12	3 घंटे	3-35	16

101.	राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021	-	2-42	17	-	1-48	12
102.	राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021	2 घंटे	2-51	16	2 घंटे	1-34	10

***** अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक